<u>फैक्स द्वारा</u>

<u>सं0-4/2073/52-3-2013-14(72)/95 टी0सी0</u>

प्रेषक

देवेश चतुर्वेदी
सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

1- निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ

2- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0

3- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर 2013

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-2010/52-3-13-14(72)/95टी0सी) दिनांक 4-12-2013 के अनुक्रम में तथा निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं-3776/अ0स0क0नि0/पू0द0छा)/2013 दिनांक 16-12-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के वितरण हेतु शासनादेश दिनांक 04-12-2013 के द्वारा पुनरीक्षित समय सारिणी निर्धारित की गयी थी।

2- उक्त समय सारिणी के अनुसार जनपद स्तर पर प्राप्त पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्र (जंक आदि सहित) स्टेट एन0आई0सी) की वेब साइट पर अपलोड किये जाने एवं वेब साइट लांक किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 15-12-2013 निर्धारित की गयी थी।

3- शासन के संज्ञान में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि दिनांक 15-12-2013 तक प्रदेश के समस्त जनपदों को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अपलोड उपलब्धि का औसत लगभग 81 प्रतिशत है किन्तु कतिपय जनपदों में प्रगति 60 प्रतिशत से भी कम है। यह चिन्तनीय विषय है कि शासन के स्पष्ट आदेशो के उपरान्त भी कतिपय जनपदों द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति के डाटा एन0आई0सी0 की वेब साइट पर निर्धारित अन्तिम तिथि तक अपलोड नही कराये गये हैं।

4- प्रकरण में यह दृष्टिगत रखते हुये कि छात्रवृत्ति के डाटा एन0आई0सी0 की वेब साइट पर अपलोड कराये जाने के लिए संबंधित छात्र/छात्राओं का कोई दोष नही है शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिन आवेदकों के प्रार्थना पत्र शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारी को तथा शिक्षा विभ ग के सबंधित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठयक्रम की प्रमाणिकता के संबंध में अपनी संस्तुति छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को दिनांक 31-10-2013 तक पे्रषित कर दी गयी है □□□ □□0□0□0 की वेब साइट पर अपलोड कराये जाने की अवधि को विस्तारित कर दिनांक 6-01-2014 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उक्त संबंध में तदनुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें। यदि अब उक्त निर्धारित तिथि तक पात्र अल्पसंख्क छात्र/छात्राओं की पुर्वदशम छात्रवृत्ति के डाटा एन0आ0□0□0 की वेब साइट पर लोड नही किये जाते है तो इसके लिए संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

(देवेश चतुर्वेदी)

□□□

संख्या-2073(1)/52-3-2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(जय प्रकाश पाण्डेय)

□□ □□□□